कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 163 / अ0क0रो0 / का.से. / 2021 इन्दौर, दिनांक 24/2/2021

:: विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित आवासीय कालोनी को कलेक्टर कार्यालय द्वारा सशर्त विकास अनुमति प्रदान की गई है :–

अ0 क्र	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक अग्रवाल रियल सिटी प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव पता 5, यशवंत निवास रोड़ इन्दौर जिला–इन्दौर कालोनी का नाम – **"एमराल्ड अनंत" कालोनी**	ग्राम–देवगुराडिया, तहसील–भिचौली हप्सी, जिला–इंदौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 66/1 रकबा 1.214 हे., सर्वे क्र. 138/2 रकबा 1.040 हे., कुल रकबा 2.254 हे.भूमि पर।	भूखण्ड क्रं. क्रं. 01 से 29 तक, 37 से 44 तक, 75,76 व 77 इस प्रकार कुल 40 भूखंड जिसका कुल रकबा 2764.62 वर्गमीटर बंधकनामा पंजीकरण क्रं. एमपी179132020ए1901817 दिनांक 30.12.2020

उपरोक्त कालम नंबर–4 में उल्लेखित 40 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी अधिकारी,
कालोनी सेल,
जिला इंदौर

C:\Users\admin\Desktop\Bagora_Mahendra\Vikas Anumati\Agrwal Reyal City\P_5 and Vigyapti__Agrwal Reyal City.docx

पृ0क्रमांक / 164 / अकरी / का.से. / 2021 इंदौर, दिनांक 24/2/21

प्रतिलिपिः–

आवेदक आवेदक अग्रवाल रियल सिटी प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव पता 5, यशवंत निवास रोड़ इन्दौर जिला–इन्दौर की ओर उक्त विज्ञप्ति का सर्वाधिक प्रकाशित दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में किया जाकर प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रभारी अधिकारी,
कॉलोनी सेल
जिला इंदौर

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 161 / अ0क0री0 / कां.से. / 2021 इन्दौर, दिनांक 24/2/2021

प्रारूप–5

(नियम 9 (7) देखिए)

कालोनी विकास की अनुमति

प्र0क्र. 86 / अ–74 / 2020–21

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम–देवगुराडिया, तहसील–भिचौली हप्सी, जिला इंदौर में कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :–

श्री / श्रीमती :– **आवेदक अग्रवाल रियल सिटी प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव**

निवासी :– **5, यशवंत निवास रोड़ इन्दौर जिला–इन्दौर**

कालोनी का नाम :– **"एमराल्ड अनंत" कालोनी**

ग्राम–देवगुराडिया, तहसील–भिचौली हप्सी, जिला–इंदौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 66 / 1 रकबा 1.214 हे., सर्वे क्र. 138 / 2 रकबा 1.040 हे., कुल रकबा 2.254 हे. भूमि पर निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए कालोनी विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है :–

1– म. प्र. भूराजस्व संहिता 1959(20 सन् 1959) संशोधित नियम 2018 के उपबंधो के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिये लागू शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।

2– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु दी गई अनुज्ञा में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

3– विकास / निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो / निम्न आय समूहों के लिये आरक्षित भूखण्ड को पहली प्राथमिकता नियमानुसार देनी होगी।

4– नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधो के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तो का पालन करना होगा।

5– संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के पत्र क्रमांक INDLP-6362 / 20 / नग्रानि / 2020, इन्दौर दिनांक 03.02.2020 की अनुज्ञा में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

6— आवेदित भूमि के आसपास की शासकीय या अन्य भूमि पर अतिक्रमण एवं विकास कार्य नही किया जावेगा।

7— कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

8— कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में बंधकनामा पंजीकरण क्रं. एमपी179132020ए1901817 दिनांक 30.12.2020 से भूखण्ड क्रं. 01 से 29 तक, 37 से 44 तक, 75,76 व 77 इस प्रकार कुल 40 भूखंड जिसका कुल रकबा 2764.62 वर्गमीटर तक भूमि बंधक रखे गये है। उक्त भूखण्डो को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बगैर विक्रय नही किया जावेगा।

9— अनुमति जारी दिनांक के समय किसी न्यायालय में वाद लंबित/प्रचलित होने की दशा में यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

10— राज्य शासन द्वारा अधिरोपित नियमो के अधीन एवं समय—समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि विकासकर्ता भूमि स्वामी/भागीदार या अन्य हितग्राही दी जा रही अनुज्ञा की शर्तो के विपरीत विकास कार्य करते है या उनके द्वारा प्रदत्त दस्तावेजो में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी तथा कालोनी विकास की दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

11— संपदा विनियामक प्राधिकरण रेसा एवं भवन अनुज्ञा निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अधिकारी विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

12— विकास की अनुज्ञा में उल्लेखित भूमि के स्थल एवं स्वत्व सम्बंधी वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होने की दशा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, योजना में समाविष्ट भूमि, आवेदक व्दारा विकास की अनुमति हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जिसमें कालोनी का रजिस्ट्रेशन, भूमि व व्यपवर्तन की अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश व्दारा स्वीकृत अभिन्यास की सभी शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर,
जिला इंदौर

पृ0क्रमांक / 162 / अ0क0री0 / का.से / 2021 इन्दौर, दिनांक 24/2/2021

प्रतिलिपिः—

1— कलेक्टर, जिला इंदौर की और सूचनार्थ ।

2— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला इंदौर ।

3— अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग बिचौली हप्सी, इंदौर की और प्रेषित कर लेख है कि प्रदत्त अनुज्ञा में दी गई शर्तो के पालन के सम्बंध में स्थल निरीक्षण करें एवं विकासकर्ता से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

4— वरिष्ठ पंजीयक जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ ।

5— जिला पंजीयक इंदौर की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । भूखण्ड क्रं. 01 से 29 तक, 37 से 44 तक, 75,76 व 77 इस प्रकार कुल 40 भूखंड जिसका कुल रकबा 2764.62 वर्गमीटर है, भूमि बंधक रखे गये है। जिसका बंधकनामा पंजीकरण क्रं. एमपी179132020ए1901817 दिनांक 30.12.2020 को किया गया है। अतः **बधंकनामा अनुसार 40 भूखंड** की खरीदी, बिकी व रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना सक्षम अनुमति के नही की जावे ।

6— आवेदक अग्रवाल रियल सिटी प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव पता 5, यशवंत निवास रोड़ जिला–इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

अपर कलेक्टर
जिला इंदौर

C:\Users\admin\Desktop\Bagora_Mahendra\Vikas Anumati\Agrwal Reyal City\P_5 and Vigyapti__Agrwal Reyal City.docx